संख्या-387/2018/605/22-2-2018-17(125)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री स्व0 सर्वेश यादव, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15678/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-23.04.2018) दिनांक 23.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री स्व0 सर्वेश यादव, जो-मोहिद्दीनपुर, थाना-कम्पिल, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने पूर्व में हुई पिता की हत्या के प्रतिशोध स्वरूप कोर्ट कम्पउण्ड में दिनांक 17-09-2001 को सुबह लगभग 10.30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी तमंचा एवं टकोरा से मारकर राधेश्याम एवं रामसनेही नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27, 28/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 302, 5/7 सी0एल0एक्ट व 25/7 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.09.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 09 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी का न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की समाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पूर्व में हुई पिता की हत्या के प्रतिशोध स्वरूप कोर्ट कम्पउण्ड में दिनांक 17-09-2001 को सुबह लगभग 10.30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी तमंचा एवं टकोरा से मारकर राधेश्याम एवं रामसनेही नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयु 49 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है तथा बन्दी के भविष्य में अपराध से विरत रहने की सम्भावना कम रहने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में की गयी है इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता,जघन्यता दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र स्व0 सर्वेश यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजेश सिंह (बन्दी संख्या-19392) पुत्र श्री स्व0 सर्वेश यादव, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-387/2018/605(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-387/2018/605/22-2-2018-17(125)/2018

दिनांक 03 मई, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री स्व0 सर्वेश यादव, जो-मोहिद्दीनपुर, थाना-कम्पिल, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी ने पूर्व में हुई पिता की हत्या के प्रतिशोध स्वरूप कोर्ट कम्पउण्ड में दिनांक 17-09-2001 को सुबह लगभग 10.30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी तमंचा एवं टकोरा से मारकर राधेश्याम एवं रामसनेही नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27, 28/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 302, 5/7 सी0एल0एक्ट व 25/7 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.09.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 09 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी का न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की समाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पूर्व में हुई पिता की हत्या के प्रतिशोध स्वरूप कोर्ट कम्पाउण्ड में दिनांक 17-09-2001 को सुबह लगभग 10.30 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर देशी तमंचा एवं टकोरा से मारकर राधेश्याम एवं रामसनेही नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 49 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है तथा बन्दी के भविष्य में अपराध से विरत रहने की सम्भावना कम रहने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में की गयी है इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता,जघन्यता दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र स्व0 सर्वेश यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in